

BAIJU BAWRA
DOE
A.N.D. College

7.7.2020

B.Ed - II year
course - 10
Unit - 1

Topic -
Disability Act 1995

A DISABILITY ACT 1995

विकांगजन अधिनियम 1995 के अर्थान्वयन के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों सहित यथाचित सूत्रों द्वारा एक बहुकार्यक्षेत्र संस्थागत दृष्टिांग (अपना) की आवश्यकता है।

→ समान अवसर देने, उनके अधिकारों के संरक्षण और सुव्यवस्था के लिए, जो व्यक्ति 40 फीसदी या उससे अधिक विकलांग है उसे चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इसमें दृष्टिहीनता, श्रवण क्षमता में कमी, गति विषयन बाधयता शामिल है।

→ विकलांग व्यक्तियों को अविकलांग व्यक्तियों की तरह समान अवसर का अधिकार और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा का अधिकार है।
→ जीवन के कार्यों में अविकलांग व्यक्तियों के बराबर पूर्ण भागीदारी का अधिकार है।

* विकलांगों का देखभाल और जीवन की प्रमुख धारा में उन्हें पुनर्वासित किए जाने का अधिकार है।

→ हर विकलांग के बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक अप्रुक्त कालकाल में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, सरकार को विशेष शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष स्कूल स्थापित करने चाहिए, सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के एकीकरण को बढ़ावा देना चाहिए और विकलांग बच्चों के

आवश्यक प्रशिक्षण के लिए आवश्यक मुद्रियां करने चाहिए।

→ पाँचवी कक्षा तक पढ़ाई कर चुके विकलांग बच्चों मुक्त स्कूल या मुक्त विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवागमिक दृष्टियों के क्षेत्र में अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं और सरकार से विशेष पुरस्कार और उपकरणों की निःशुल्क प्राप्ति करने का उन्हें अधिकार है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह नए शैक्षणिक उपकरणों, शिक्षण सहायक साधनों और विशेष शिक्षण सामग्री का विकास करें ताकि विकलांग बच्चों को शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो।

→ विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार को शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करें, विस्तृत शिक्षा संबंधी योजनाएँ बनाएँ, विकलांग बच्चों को स्कूल-जाते आने के लिए पर्याप्त सुविधा देनी चाहिए पुरस्कार, पाठ्य सामग्री, आदि सुविधाएँ देनी।

→ केन्द्र सरकार के कार्यालय व इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निचले वर्गों के पदों में से उपरिष्ठ विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हों।

→ सरकारी और सरकार से अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को कम से कम उपरिष्ठ सीटें विकलांगों के लिए आरक्षित करनी होंगी।